



सेना उडनयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

IS/ISO: 9001:2008

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु
MARATHAHALLI COLONY P.O.,
BENGALURU - 560 037.

वर्ग अनुमोदन सं. 992 का नवीकरण/Renewal of Type Approval No. 992

**विषय/Sub: कैस कार्बराइजिंग स्टील एम डी एन एल ए 1 (12x2एच 4एडब्ल्यू) फॉर्ज बार /
Case Carburising Steel MDN LA1 (12X2H4AW) Forged Bars**

यह घोषित किया जाता है कि मेसर्स मिश्र धातु निगम लिमिटेड, कंचनबाग पी.ओ, हैदराबाद - 500 058, द्वारा विकसित तथा उत्पादित कैस कार्बराइजिंग स्टील एम डी एन एल ए 1 (12x2एच 4एडब्ल्यू) फॉर्ज बार को संदर्भ सं. सेमिलेक/ 5070/टीए-992, दिनांक 15 फरवरी 2003, द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 992 जारी किया गया था तदुपरांत संदर्भ सं. सेमिलेक/ 5070/ टीए-992/1आर द्वारा दिनांक 18 जून 2008 को नवीकरण किया गया था जो कि 31 दिसंबर 2012 तक वैध था।

This is to state that the Case Carburising Steel MDN LA1 (12X2H4AW) Forged Bars, developed & manufactured by M/s. Mishra Dhatu Nigam Limited, Kanchanbagh P.O, Hyderabad - 500 058 has been issued with Type Approval No. 992 vide ref. No. CEMILAC/5070/TA-992, dated: 15th Feb 2003 and subsequently renewed on 18th Jun 2008 Vide Ref. No. CEMILAC/5070/TA-992/1R, and was valid up to 31st Dec 2012.

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 जनवरी 2014 से संतोषजनक निष्पादन फीडबैक के आधार पर किया जाता है तथा 31 दिसंबर 2018 तक वैध है बशर्ते कि इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए(पदार्थ), सेमिलेक, डी आर डी ओ, कंचनबाग पी.ओ, हैदराबाद - 500 058, से अनुरोध करना होगा। वर्ग अनुमोदन पत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी।


This is to certify that this Type Approval is hereby renewed w.e.f 1st Jan 2014 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 31st Dec 2018 unless otherwise, suspended or cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Materials), CEMILAC, DRDO, Kanchanbagh P.O, Hyderabad - 500 058, three months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause. All other terms & conditions stipulated in the Type Approval letter remain unaltered.

सं./No. : सेमिलेक/CEMILAC/5070/टी.ए/TA- 992-2R

दिनांक/Date : 16 Jan 2014

फैक्स सं./Fax No: 080-25230856

13/10/14


(डॉ. के. तमिलमणि/ Dr. K. TAMILMANI)
महा निदेशक (एरो) Director General (Aero)
मुख्य कार्यपालक (उडनयोग्यता)
Chief Executive (Airworthiness)